मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013-फाल्गुन 24, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ के समक्ष

(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका (आवेदन) क्र. 1/2013

कम्पनी याचिका क्र. 17/2002 के मामले में;

एवं

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में;

एवं

धार सिमेंट लिमिटेड एवं इसके अंशधारियों व लेनदारों के मध्य समझौता एवं पुनर्निर्माण योजना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत धारा 391-394 एवं अन्य संगत प्रावधानों के मामले में;

एवं

के मामले में:

धार सिमेन्ट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: जीराबाद गांव,
जिला धार, मध्यप्रदेश.

परिसमापन के अधीन

प्रदीप कासलीवाल
पिता श्री देवकुमार सिंह कासलीवाल
''अनूप भवन'' 580, एम. जी. रोड,
इन्दौर-452 001 (म. प्र.).

आवेदक

साधारण अंशधारियों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक बुलाने हेतु सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ के आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा धार

सिमेन्ट लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के साधारण अंशधारियों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की बैठकों को बुलाये जाने हेतु निर्देश दिया गया है, ताकि उक्त कम्पनी एवं उसके अंशधारियों एवं लेनदारों के मध्य कम्पनी के पुन: प्रर्वतन हेतु प्रस्तावित समझौता एवं पुनर्निर्माण योजना पर यदि उचित हो तो परिवर्तन के साथ या अन्यथा विचार हो, ताकि उपरोक्त योजना का अनुमोदन किया जा सके.

उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में एवं उसमें निर्देशित, एतद्द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि धार सिमेन्ट लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) की साधारण अंशधारियों एवं अप्रतिभूत लेनदारों की पृथक् बैठकें शनिवार, 6 अप्रैल, 2013 को की जायेगी, जिसमें अंशधारियों एवं अप्रतिभूत लेनदारों से निम्नानुसार समय एवं स्थान पर उपस्थित होने के लिये प्रार्थना की जाती है:—

बैठकों का विवरण	दिनांक	समय	स्थान
साधारण अंशधारियों की बैठक	06-04-2013	सुबह 11.00 बजे	प्रीतमलाल दुआ हॉल, एम. जी. रोड, इन्दौर.
अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक	06-04-2013	दोपहर 12.30 बजे	प्रीतमलाल दुआ हॉल, एम. जी. रोड, इन्दौर.

उपरोक्त समझौता एवं पुनर्निर्माण योजना एवं धारा 393 के अन्तर्गत विवरण की प्रतिलिपियाँ, आवेदक के अधिवक्ता श्री विजयेश अत्रे, 304 जे. वी. कॉम्प्लेक्स, रेस कोर्स रोड, इन्दौर-452001 से नि:शुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं.

हकदार व्यक्ति अपनी-अपनी बैठकों में उपस्थित होने व मत देने के लिये, स्वयं या परोक्षी के द्वारा उपस्थित होने व मत देने हेतु सक्षम हैं. परन्तु यह तब जबकि परोक्षी पत्र कम्पनी के ग्राम जिराबाद, जिला धार मध्यप्रदेश पर स्थित पंजीकृत कार्यालय पर निर्धारित प्रारूप में बैठक के कम से कम 48 घण्टे पहले जमा किया जाये. आवेदक के उक्त अधिवक्ता के कार्यालय से परोक्षी पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है.

माननीय उच्च न्यायालय ने श्री वीर कुमार जैन, अधिवक्ता को सभापति एवं उनके उपलब्ध न होने की दशा में श्री बी. एम. माहेश्वरी, अधिवक्ता को उपरोक्त बैठकों के विकल्पी सभापति के रूप में नियुक्त किया है. उपरोक्त वर्णित समझौता एवं पुनर्निर्माण योजना का उक्त बैठकों द्वारा अनुमोदन, माननीय न्यायालय के अनुवर्ती अनुमोदन के अध्यधीन होगा.

वीर कुमार जैन,
सभापति.
(बैठकों के लिये नियुक्त)

दिनांक 4 मार्च, 2013.

(344-बी.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, निलोफर अली ने विवाह उपरांत नाम परिवर्तन कर निसरीन राजौदवाला कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(निलोफर अली)

नया नाम:
(निसरीन राजौदवाला)
162, खातीवाला टैंक फलक आपार्टमेंट
F, No. 302, इन्दौर (म. प्र.).

(338-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अर्जुन ने अपने नाम के साथ उपनाम का प्रयोग कर अर्जुन भाटी कर लिया है. अबसे मुझे अर्जुन भाटी के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(अर्जुन)

नया नाम:
(अर्जुन भाटी)
78- तहसील रोड, देपालपुर, इन्दौर (म. प्र.).

(350-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम नन्द किशोर था, जिसे बदलकर मैंने नीरज सोनी कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे नए नाम नीरज सोनी से लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(नन्द किशोर)

नया नाम:

(नीरज सोनी)

120/2, स्वस्तिक नगर, इन्दौर, म. प्र.

(347-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, संदीप खरे आत्मज श्री शंभू दयाल खरे, निवासी विवेकानंद वार्ड सिवनी, यह घोषणा करता हूँ कि मैंने श्रीमति रचना रमेंद्र श्रीवास्वत से 30 जून, 2010 को विवाह किया है. रचना रमेंद्र श्रीवास्तव की पुत्री शिवी श्रीवास्वत एवं शैव श्रीवास्तव के लालन-पालन, पढ़ाई-लिखाई, शादी-विवाह की जवाबदेही अब हमारी है. शिवी श्रीवास्तव का नाम सैंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजूकेशन की दसवीं की अंकसूची में शिवी श्रीवास्तव पिता रमेंद्र श्रीवास्तव माता श्रीमति रचना श्रीवास्तव दर्ज है. इसमें संशोधन कर शिवी खरे पिता संदीप खरे, माता रचना खरे दर्ज किया जाए एवं भविष्य में शिवी रमेंद्र रचना श्रीवास्तव को शिवी संदीप रचना खरे पढ़ा-समझा एवं लिखा जाए. शिवी रचना रमेंद्र श्रीवास्तव और शिवी संदीप रचना खरे एक ही व्यक्ति हैं. शाला एवं शालेय अभिलेखों में उक्ताशय की दुरूस्ती की जाए.

संदीप खरे,

(346-बी.) विवेकानंद वार्ड, सिवनी, (म. प्र.).

CHANGE IN NAME

I, Anil Turkhia here by declare that I have change my name as Anil Turakhia S/o Praful Turakhia. So from now and in future I will be known by my new Name.

Old Name :

(ANIL TURKHIA)

New Name :

(ANIL TURAKHIA)

19, Ranisati Colony, Indore (M. P.).

(349-B.)

आवश्यक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स डोट कंसलटेंसी एण्ड इंजीनियरिंग्स, गुना (मध्यप्रदेश) में श्री सतीश चन्द्र टाटियां, दिनांक 30 जून, 2012 से नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं.

M/s Dot Consultancy & Engineering

बृजेश सोनी,

(340-बी.) पार्टनर.

आम सूचना

सर्वजन को सूचित किया जाता है कि फर्म सुदर्शन फायनेंस कम्पनी, ग्वालियर में दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से—(1) श्री सुदर्शन झंवर, (2) श्रीमती जानकीदेवी झंवर, (3) श्रीमती अल्का झंवर फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो रही हैं एवं श्रीमती रितु अग्रवाल दिनांक 01 अप्रैल, 2004 से सम्मिलित हो रही हैं तथा फर्म का प्रमुख स्थान सराफा बाजार रोड, लश्कर, ग्वालियर के स्थान पर गोपाल भवन, संजय कॉम्प्लेक्स, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर किया जा रहा है.

सर्वजन सूचित हों.

भवदीय,

अरविंद अग्रवाल,

वास्ते—**सुदर्शन फायनेन्स कम्पनी,**

(341-बी.) पार्टनर.

NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for Public information that Smt. Anita Singhal W/o Shri Kamal kumar Singhal has retired from the partnership business of the firm M/s SUMIT INDUSTRIES, 159, SAJAN NAGAR, INDORE (M. P.) *vide* regn No. 144, dated 19-11-2007 year 2007-08 as from 01-04-2009 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For M/s Sumit Industries
Sumit agrawal,
Partner.

(337-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. अर्थ डेवलपर्स एवं बिल्डर्स, सराफा बाजार, ग्वालियर में निम्नलिखित तीन भागीदार थे.

1. श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री बी. बी. वर्मा, 2. श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री बी. डी. वर्मा, 3. श्री कन्हैयालाल ठाकवानी पुत्र श्री धनराज ठाकवानी.

यहकि दिनांक 16-10-2012 से श्री मनीष वर्मा पुत्र श्री बी. बी. वर्मा फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा शेष दोनों साझेदारों ने दो नये साझेदार 1. श्री रीकेश गर्ग पुत्र श्री रामबाबू गर्ग, 2. पदमचंद जैन पुत्र भोगीराम जैन को उक्त दिनांक से फर्म के भागीदारों के रूप में लिया जाना तय किया है.

पदमचन्द जैन,
मे. अर्थ डवलपर्स एवं बिल्डर्स,
सराफा बाजार, ग्वालियर (म. प्र.).

(336-बी.)

सार्वजनिक सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01 नवम्बर, 1978 से प्रभावशील भागीदारी फर्म मेसर्स महावीर स्टोर्स, सदर बाजार, गुना में निम्न भागीदार थे:—

1. बाबूलाल पुत्र श्री घासीलाल, जाति जैन, निवासी गुना.
2. अरविन्द कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, जाति जैन, निवासी गुना.
3. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल, जाति जैन, निवासी गुना.

कि उक्त साझेदारी फर्म के संगठन (Constitution) में समय-समय पर निम्न संशोधन/परिवर्तन हुए हैं.—

(1) दिनांक 01 अप्रैल, 1992 से भागीदार बाबूलाल पुत्र श्री घासीलाल, जाति जैन, निवासी गुना भागीदारी से पृथक् (Retire) हो गए.

(2) दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से पियुष जैन पुत्र श्री अरविन्द कुमार, निवासी गुना नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित (Join) हो गए हैं.

(3) दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से भागीदार रविन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जी, जाति जैन, निवासी गुना भागीदारी से पृथक् (Retire) हो गए हैं.

कि दिनांक 01 अप्रैल, 2007 से फर्म का नाम में परिवर्तन (Change) होकर फर्म का नाम मेसर्स महावीर स्टोर्स, सदर बाजार, गुना के स्थान पर फर्म का नवीन नाम श्री महावीर स्टोर्स, सदर बाजार, गुना हो गया है.

उक्त घोषणा हमारे विश्वास एवं ज्ञान से सही है.

वास्ते:—श्री महावीर स्टोर्स, गुना,
अरविन्द कुमार जैन (पार्टनर),
पियुष जैन (पार्टनर).

(334-बी.)

सार्वजनिक सूचना

मेरे पक्षकार राज रोहितास वल्द सुन्दरलाल उम्र 26 वर्ष, निवासी रजाखेडी मकरोनिया, तहसील जिला सागर मध्यप्रदेश के नाम की सही स्पेलिंग इस प्रकार है. RAJ ROHITAS S/o SUNDERLAL ROHITAS mother's name PHOOL BAI ROHITAS है जो हाई स्कूल 10th की अंकसूची में RAJ ROHTAS लिखा है, सही RAJ ROHITAS जाना जावे है, 12th हायर सेकेन्ड्री की अंकसूची में माँ का नाम Mamta के स्थान पर PHOOL BAI ROHITAS पिता का नाम S L ROHITA के स्थान पर S. L. ROHITAS जाना जाये जो सही है. अन्य दस्तावेजों के आधार पर, सार्वजनिक सूचना जाहिर कर सही नाम RAJ ROHITAS S/o SUNDERLAL ROHITAS mother's name PHOOL BAI ROHITAS लिखा-पढ़ा एवं जाना जावे.

रामनारायण यादव,
(एडव्होकेट सागर)
वास्ते—पक्षकार राज रोहितास,
रजाखेडी, सागर (म. प्र.).

(342-बी.)

NOTICE

This is to inform that the firm "M/s. Mahalaxmi Trade Centre" (Reg. No. 07/35/01/00111/ 13, dated 15-2-2013). Situated at 25, keshav Sadan, Shiv ji Baser Nagar, Opp. RTO Office, Mhow Neemuch Road, Mandsaur (M. P.) has admitted Shri Pradeep Chandwani as new Partner w. e. f. 15-8-2012. Has retired Shri Ajeet Kumar Agrawal and Shri Rajendra Kumar Agrawal, w. e. f. 15-8-2012 as per Indian partnership Act, 1932.

फॉर-महालक्ष्मी ट्रेड सेन्टर,
प्रदीप चंदवानी,
पार्टनर.

(339-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. सूर्या बायोटेक प्रोडक्ट्स भागीदारी फर्म पता 657, गोलबाजार, जबलपुर जो कि दिनांक 01 अप्रैल, 2004 को गठित हुई जिसमें 1. अमरनाथ विश्वकर्मा, 2. कमल कुमार जैन, 3. श्रीमती शिखा जैन एवं 4. श्रीमती मोनिका जैन भागीदार थे. दिनांक 31 मार्च, 2005 तक चली. इसके पश्चात् श्री अमरनाथ विश्वकर्मा इस फर्म से अलग हो गए व दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हो गए.—1. कमल कुमार जैन, 2. श्रीमती शिखा जैन एवं 3. श्रीमती मोनिका इसके पश्चात् दिनांक 31 मार्च, 2008 को भागीदार श्रीमती मोनिका जैन अलग हो गईं एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से लेकर आज दिनांक तक नई संशोधित फर्म में निम्नलिखित भागीदार हैं. 1. कमल कुमार जैन, 2. कपिल जैन एवं 3. श्रीमती शिखा जैन.

For-Surya Biotec Products
Kapil Jain,
Partner.

(343-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित करा जाता है कि हमारी फर्म मे. के. जी. डेवलपर्स रजि. नं. IE/77/03-04 दिनांक 23-09-2003 को आशीष कुमार खरीया एवं सुरेश कुमार गुप्ता के साथ प्रारम्भ हुई. फर्म में दिनांक 28 सितम्बर, 2005 से दो नए भागीदार मो. आरीफ इकबाल खान एवं गोपालदास खरीया शामिल हुए तथा फर्म से दिनांक 14-11-2007 को सुरेश गुप्ता ने त्याग पत्र दिया एवं दिनांक 30-11-2012 को फर्म विघटित (डिजाल्व) हो गई.

आशीष कुमार खरीया,
मे. के. जी. डेवलपर्स,
5, बरेलागांव, लालघाटी, भोपाल, म. प्र.

(348-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2013

प्र. क्र. 05/बी-113/2012-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष: रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक, संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय, भोपाल ने उपस्थित होकर वीर भारत न्यास, जिला भोपाल के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 28 मार्च, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	वीर भारत न्यास, भोपाल.
कार्यालय का पता	..	स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	..	निरंक
चल सम्पत्ति	..	रुपये 1,995/-

जी. एस. धुर्वे,
रजिस्ट्रार.

(144)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''श्री मेनारिया ब्राह्मण समाज ट्रस्ट'' कार्यालय 31, कानूनगो बाखल, गोपाल मंदिर के पीछे, इन्दौर (मध्यप्रदेश) की ओर से श्री जसराज पिता देवीलाल मेहता, निवासी 42, शंकरबाग, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''श्री मेनारिया ब्राह्मण समाज ट्रस्ट''.
पता	:	31, कानूनगो बाखल, गोपाल मंदिर के पीछे, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	मकान नम्बर 31, कानूनगो बाखल, इन्दौर स्थित धर्मशाला एवं भवन.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 11,11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह लाख, ग्यारह हजार मात्र) एवं अन्य चल सम्पत्ति परिशिष्ट ''अ'' अनुसार.

आज दिनांक 31 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(130)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''कैलाशा ट्रस्ट'' कार्यालय त्रिवेदी चेम्बर, 2, महारानी रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश) की ओर से श्री सुनील कुमार पिता स्व. श्री कैलाश त्रिवेदी एवं अन्य इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''कैलाशा ट्रस्ट''.
पता	:	त्रिवेदी चेम्बर, 2, महारानी रोड, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र).

आज दिनांक 15 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(130-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, अनुभाग हातोद, जिला इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा 5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

''अंजुमन-ए-मौयदी दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट'', गांधी नगर, इन्दौर, कार्यालय बोहरा मस्जिद, बोहरा कॉलोनी, गांधीनगर,

इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से आवेदक सैफुद्दीन कमरूद्दीन पिरोसावाला, निवासी-825, बोहरा कॉलोनी, गांधीनगर, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''अंजुमन-ए-मौयदी दाऊदी बोहरा जमात ट्रस्ट'', गांधी नगर, इन्दौर.
पता	:	बोहरा मस्जिद, बोहरा कॉलोनी, गांधीनगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,200/- (अक्षरी रुपये पांच हजार दो सौ मात्र).

आज दिनांक 16 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

पवन जैन,
रजिस्ट्रार.

(131)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मन्दसौर

दिनांक 14 फरवरी, 2013

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/2012-13.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

''श्री दिगम्बर जैन मुनि सेवा समिति चन्द्रप्रभेव नवदेवता जिनायतन निर्ग्रन्थ निलय ट्रस्ट, नाकोडा नगर, रामटेकरी, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश.''

2. चूँकि ''श्री दिगम्बर जैन मुनि सेवा समिति चन्द्रप्रभेव नवदेवता जिनायतन निर्ग्रन्थ निलय ट्रस्ट, नाकोडा नगर, रामटेकरी, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश'' द्वारा मुख्य न्यासधारी-नन्दकिशोर पिता शांतिलाल अग्रवाल, निवासी नाकोडा नगर, मन्दसौर एवं कनक पिता मोहनलाल पंचोली, निवासी प्रेम कॉलोनी, मन्दसौर, अरविन्द कुमार पिता बापूलाल मेहता, निवासी जमीदार कॉलोनी, मन्दसौर, विजयकुमार पिता सुखलाल गांधी, निवासी तिरूपति नगर, मन्दसौर, विजेन्द्र कुमार पिता नाथुलाल सेठी, निवासी शुक्ला कॉलोनी, मन्दसौर, शोभागमल पिता डाढमचन्द मोकरवाडा नगरीवाले, निवासी शुक्ला कॉलोनी, मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 19 मार्च, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 19 मार्च, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति

को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 19 मार्च, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण :— ट्रस्ट की सभी चल-अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छाया प्रतियां संलग्न हैं जो निम्न प्रकार हैं.—

1. अचल सम्पत्तिः—निरंक.

2. चल सम्पत्तिः—चल सम्पत्ति बैंक में जमा फिक्स डिपाजिट 1,23,000/- रु. है तथा 6,775/- रुपये. चल सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन लगभग 1,29,755/- रुपये (एक लाख उनतीस हजार सात सौ पिचोत्तर रुपये) है. लोक न्यास का नामः— ''श्री दिगम्बर जैन मुनि सेवा समिति चन्द्रप्रभेव नवदेवता जिनायतन निर्ग्रन्थ निलय ट्रस्ट, नाकोडा नगर, रामटेकरी, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश''.

(132)

दिनांक 14 फरवरी, 2013

प्र. क्र. 3/बी-113 (1)/2012-13.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम, 1962 नियम-5 (1)]

पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के समक्ष.

''श्री रामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, यश नगर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश.''

2. चूँकि ''श्री रामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, यश नगर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश'' द्वारा मुख्य न्यासधारी डॉ. एस. एल. सुथार, जिला मन्दसौर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 22 मार्च, 2013 को विचार के लिए लिया जावेगा.

3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

4. अतः मैं, वीरसिंह चौहान, पंजीयक, लोक न्यास, मन्दसौर, जिला मन्दसौर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 22 मार्च, 2013 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियत पेशी दिनांक 22 मार्च, 2013 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

सम्पत्ति का विवरण :— ट्रस्ट की सभी चल-अचल सम्पत्तियां ट्रस्ट के अधिकार व आधिपत्य में होकर जिनमें स्वत्व विलेख की छायाप्रतियां संलग्न हैं जो निम्न प्रकार हैं.—

1. अचल सम्पत्तिः—निरंक.

2. चल सम्पत्तिः—चल सम्पत्ति परिशिष्ट ''अ'' अनुसार 32,130/- रु. तथा परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार बैंक में जमा फिक्स डिपाजिट 3,47,178/- रु है. चल सम्पत्ति का कुल मूल्यांकन लगभग 3,79,308/- रुपये (तीन लाख उन्यासी हजार तीन सौ आठ रुपये) है. लोक न्यास का नाम ''श्री रामेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट, यश नगर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश''.

वीरसिंह चौहान,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(132-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, जिला बैतूल

प्रारूप क्र. 4

[देखिये नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 3 (1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक, बैतूल, जिला बैतूल के समक्ष.

यह कि डागा फाउण्डेशन समिति, कोठीबाजार, बैतूल, तहसील जिला बैतूल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30)

की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किंये जाने के लिए आवेदन-पत्र पर दिनांक 22 मार्च, 2013 वे दिवस मेरे न्यायालय में विचार में लिए लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	डागा फाउण्डेशन समिति, कोठी बाजार, बैतूल.
चल सम्पत्ति	:	1,00,000/- (एक लाख रुपये).
अचल सम्पत्ति	:	. .

ए. के. रिछारिया,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

(133)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

प्र. क्र./ 02/बी-113(1)/2012-13.

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा 5 (2) एवं

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष पंजीयक, लोक न्यास खरगौन.

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष ''साँईकृपा सेवा संस्थान'' खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	अनुमानित कीमत/मूल्यांकन
1.	नगद			रु. 11,000/-
2.	अचल सम्पत्ति	—	—	—

जितेन्द्रसिंह चौहान,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

(134)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 26 फरवरी, 2013

प्र. क्र. 01/12-13/बी-113 (1).

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम 5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

यतः कि श्री रमेश लाल शर्मा पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद शर्मा, निवासी बालाबाई का बाजार, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत

किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 26 मार्च, 2013 दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाऐगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता . . संत श्री रमेश लाल सर्व जातीय वृद्ध आश्रम सेवा समिति, मकरध्वज कॉलोनी, तारागंज, नगर लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन . . चल सम्पत्ति-11,000/- नकद. अचल सम्पत्ति-सम्पत्ति सर्वे क्रमांक 2552 मिन 2553 ग्राम कोटा लश्कर, निगम वार्ड क्रमांक 48 भूमि का क्षेत्रफल 8500 वर्गफुट.

(135)

ग्वालियर, दिनांक 26 फरवरी, 2013

प्र. क्र. 02/2012-13/बी-113(1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

श्री करतार कैलाश परमार्थिक न्यास निवासी-35, खेडापति कॉलोनी, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 मार्च, 2013 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास अनुविभागीय ग्वालियर, लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26 मार्च, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम और पता . . श्री करतार कैलाश परमार्थिक न्यास-35, खेडापति कॉलोनी, शहर व जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन

2. चल सम्पत्ति . . 11,000/- रुपये
3. अचल सम्पत्ति . . निरंक.

अनुराग सक्सेना,
पंजीयक

(135-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भिण्ड

प्र. क्र. /2012-13/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम (11) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि अध्यक्ष ट्रस्टी न्यासकर्ता अध्यक्ष श्री किशोर कुमार गन्धर्व निवासी मचलू भाड की गली, भिण्ड आदि ने ''स्व. श्रीनाथ गुरू चेरिटेबिल ट्रस्ट'' का निर्माण कर पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह से माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	स्वर्गीय श्रीनाथ गुरू चेरिटेबिल ट्रस्ट, 63 सरकारी इमाम बाडा, भिण्ड (म. प्र.).
2.	चल सम्पत्ति	:	1,50,000 रुपये (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र).
3.	अचल सम्पत्ति	:	निल.

(136)

प्र. क्र. /2012-13/बी-113.

फॉर्म-4

[नियम (11) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि पब्लिक ट्रस्ट न्यासकर्ता अध्यक्ष श्री संजीव कुमार जैन बल्लू पुत्र स्व. श्री मेरचन्द्र जैन निवासी 1/12, नई आवादी, भिण्ड ने ''धर्मप्रभावना न्यास'' का निर्माण कर पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में दर्शाई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 14 अप्रैल, 2013 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या संपत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह में स्वंय या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1.	ट्रस्ट का नाम व पता	:	''धर्मप्रभावना न्यास'' म. प्र. नई आवादी गली नं. 1, हाऊसिंग बोर्ड, कॉलोनी, भिण्ड (म. प्र.).
2.	चल सम्पत्ति	:	11,000 रुपये (ग्यारह हजार रुपये मात्र).
3.	अचल सम्पत्ति	:	निल.

नरोत्तम भार्गव,

(136-A) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक, विक्रम चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., माधवनगर

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

विक्रम चर्म उद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., माधवनगर, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 253, दिनांक 06 सितम्बर, 1966 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2043, दिनांक 03 अप्रैल, 1988 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(137)

कार्यालय परिसमापक, आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., नीमनवासा

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

आदर्श चर्मोद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., नीमनवासा, तहसील..... जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 72, दिनांक 10 फरवरी, 1961 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 5625, दिनांक 01 सितम्बर, 1967 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखोपुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(137-A)

कार्यालय परिसमापक, भारत चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

भारत चर्मकार उद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 857, दिनांक 28 मई, 1959 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2959, दिनांक 05 जून, 1968 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित

किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(137-B)

कार्यालय परिसमापक, चर्मकार उद्योग सहकारी संस्था मर्या., नरवर

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

चर्मकार उद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., नरवर, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 238, दिनांक 5 जनवरी, 1959 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 4209, दिनांक 10 जनवरी, 1966 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962, के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(137-C)

कार्यालय परिसमापक, महावीर ईंट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

महावीर ईंट-चूना उद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., खाचरौद, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 222, दिनांक 06 मार्च, 1977 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थ्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 492, दिनांक 02 फरवरी, 1984 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एच. एल. मन्सोरे,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(137-D)

कार्यालय परिसमापक, आदर्श ईंट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., धुरेरी

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./2013/क्यू.—आदर्श ईंट-चूना उद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., धुरेरी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 175, दिनांक 16 मार्च, 1963 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1593, दिनांक 09 जून, 1987 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(138)

कार्यालय परिसमापक, जवाहर ईंट-चूना उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ढाबला रेहवारी

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./2013/क्यू.—जवाहर ईंट-चूना उद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., ढाबला रेहवारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 197, दिनांक 22 अक्टूबर, 1963 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 7015, दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(138-A)

कार्यालय परिसमापक, आदर्श चूना-भट्टा उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./2013/क्यू.—आदर्श चूना-भट्टा उद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 155, दिनांक 30 अक्टूबर, 1962 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1219, दिनांक 14 सितम्बर, 1985 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(138-B)

कार्यालय परिसमापक, ग्रामोद्योग ईंट एवं पोटरीज उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./2013/क्यू.—ग्रामोद्योग ईंट एवं पोटरीज उद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 131, दिनांक 30 नवम्बर, 1961 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1788, दिनांक 23 मार्च, 1967 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(138-C)

कार्यालय परिसमापक, ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर

दिनांक 30 जनवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./2013/क्यू.—ग्रामोद्योग सहकारी संस्थाएं मर्या., बड़नगर, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 06, दिनांक 25 जनवरी, 1949 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 3399, दिनांक 20 फरवरी, 1988 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र.-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 30 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. एस. बाल्के,
परिसमापक.

(138-D)

कार्यालय परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 05 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2008/2448, उज्जैन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 एवं आदेश क्रमांक/परि./2008/221, उज्जैन, दिनांक 06 फरवरी, 2008 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री बालाजी गृह वस्तु क्रय-विक्रय एवं उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., घोसला	1398/03-01-1995	2448/31-12-2008
2.	माँ चामुण्डा सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1559/05-05-2001	2448/31-12-2008
3.	प्रगतिशील सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., चिकली	1598/05-05-2001	2448/31-12-2008
4.	विवेकानन्द यातायात सहकारी संस्था मर्या.,उज्जैन	1010/19-06-1991	221/06-02-2008
5.	नर्मदा यातायात सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1028/04-01-1992	221/06-02-2008

अत: मैं, के. के. वर्मा, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ. कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 05 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

के. के. वर्मा,
परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

(139)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 05 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/3053, उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलेड़ी	150/25-06-1962	7014/28-10-1967
2.	विक्रम खाद्य तेल उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	174/16-03-1963	4536/31-12-1986

1	2	3	4
3.	विनोबा तेल उत्पादक सहकारी संस्था, माकडोन	18/31-03-1960	5987/10-11-1976
4.	पंचशील तेल उत्पादक सहकारी संस्था, तराना	74/22-02-1961	5655/02-09-1967
5.	अवध बिहारी तेल उत्पादक सहकारी संस्था, नांदेड़	75/22-02-1961	839/15-02-1971

अतः मैं, श्रीमती हेमलता चन्देल, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करती हूँ. कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 05 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

हेमलता चन्देल,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(140)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2012/3054, उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	आदर्श दाल, चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	882/10-06-1952	4870/28-07-1967
2.	गांधी दाल, चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	85/20-03-1961	6643/07-12-1968
3.	लक्ष्मी दाल एवं चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	125/28-08-1961	1593/09-06-1982
4.	राजहंस दाल, चावल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	187/20-06-1963	7639/09-06-1982
5.	नीरा तार गुड़ उद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	828/17-10-1958	2973/01-11-1982

अतः मैं, श्रीमती स्वर्णलता कुशवाहा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करती हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा. उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 11 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

स्वर्णलता कुशवाहा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(141)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 147, दिनांक 25 जनवरी, 2008 द्वारा माँ मंशामाता स्लेज वाटर कन्जूमर्स को-आपरेटिव्ह सोसायटी मर्या., विनायगा, तहसील घटिया जिसका पंजीयन क्रमांक 1610, दिनांक 31 मार्च, 2003 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(142)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2442, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा अंजूश्री साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1423, दिनांक 25 मई, 1996 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 4 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(142-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया

जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	किसान वेयर हाउसिंग को-आप. सोसायटी मर्या., पचलासी, तहसील खाचरोद.	1580, दि. 31 जुलाई, 2001

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. उक्त समिति के लायसेंस बीज प्रमाणीकरण संस्था उज्जैन द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं तथा संस्थाओं द्वारा लायसेंस निरस्ती के फलस्वरूप वर्तमान में कोई बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	किसान वेयर हाउसिंग को-आप. सोसायटी मर्या., पचलासी, तहसील खाचरोद.	1580/31-07-2001	श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 5 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(142-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	पूजा बीज उत्पादक विपणन भंडारण एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	1705, दि. 31 जुलाई, 2007

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. उक्त समिति के लायसेंस बीज प्रमाणीकरण संस्था, उज्जैन द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं तथा संस्थाओं द्वारा लायसेंस निरस्ती के फलस्वरूप वर्तमान में कोई बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के

अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	पूजा बीज उत्पादक विपणन भंडारण एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	1705, दि. 31 जुलाई, 2007	श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 5 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(142-B)

उज्जैन, दिनांक 05 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/266.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	अन्नपूर्णा कृषि उपज उत्पादन एवं बीज विपणन भंडारण अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1763, दि. 14 जनवरी, 2011

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. उक्त समिति के लायसेंस बीज प्रमाणीकरण संस्था, उज्जैन द्वारा निरस्त किये जा चुके हैं तथा संस्थाओं द्वारा लायसेंस निरस्ती के फलस्वरूप वर्तमान में कोई बीज उत्पादन कार्यक्रम नहीं लिया गया है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	अन्नपूर्णा कृषि उपज उत्पादन एवं बीज विपणन भंडारण अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1763, दि. 14 जनवरी, 2011	श्री आर. एल. नागर, सहकारिता विस्तार अधिकारी, उज्जैन.

यह आदेश आज दिनांक 5 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(142-D)

उज्जैन, दिनांक 05 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/267.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	जनशक्ति बीज उत्पादक विपणन भंडारण अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., खाचरोद.	1706, दिनांक 31-07-2007

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/308, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से निष्क्रिय है तथा अपने उद्देश्यों के अनुरूप बीज उत्पादन का कार्य नहीं कर रही है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	जनशक्ति बीज उत्पादक विपणन भंडारण अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	1706, दिनांक 31-07-2007	श्री आर. एल. परमार, सहकारिता विस्तार अधिकारी, खाचरोद.

यह आदेश आज दिनांक 5 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(142-E)

उज्जैन, दिनांक 05 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/267-A.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	क्षिप्रा बीज सब्जी फल-फूल उत्पादक विपणन भंडारण अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर.	1502, दिनांक 31-03-1999

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, उज्जैन के पत्र क्रमांक/अंके./2012/308,

दिनांक 11 सितम्बर, 2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था विगत कई वर्षों से निष्क्रिय है तथा अपने उद्देश्यों के अनुरूप बीज उत्पादन का कार्य नहीं कर रही है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ. तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	क्षिप्रा, बीज सब्जी, फल-फूल उत्पादक विपणन भंडारण अनुसंधान एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर.	1502, दिनांक 31-03-1999	श्री मुकेश जोशी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, महिदपुर.

यह आदेश आज दिनांक 5 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(142-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3187, दिनांक 21 अप्रैल, 2007 के द्वारा पी. डब्ल्यू. डी. गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 25 जुलाई, 1975 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. मैहर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(143)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3193, दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के द्वारा रविदास चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कन्नोद, तहसील कन्नोद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 14 जनवरी, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एस. चौरसिया, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(143-A)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1462, दिनांक 21 जून, 2007 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलामतपुरा, तहसील कन्नोद, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 967, दिनांक 06 सितम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एल. सोलंकी, को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(143-B)

देवास, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1), (2) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1962, दिनांक 21 जून, 2007 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रालामंडल तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 588, दिनांक 5 मार्च, 1982 है, को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत में परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एस. भाटी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा (1), (2) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के विज्ञप्ति/आदेश क्रमांक 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(143-C)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च 2013-फाल्गुन 24, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, देवास, झाबुआ, राजगढ़, रायसेन, बैतूल, कटनी, सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला होशंगाबाद में फसल गेहूँ व कटनी में चना, मसूर, अलसी, गेहूँ, व डिण्डोरी में चना, मसूर, गेहूँ, बटरी, अलसी, लाख व ग्वालियर, छतरपुर, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सिंगरौली, देवास, झाबुआ, राजगढ़, रायसेन, सिवनी एवं टीकमगढ़, सीधी, इन्दौर, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**— जिला झाबुआ, बैतूल में फसल ज्वार व दमोह, सिवनी में धान की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, रायसेन में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7 . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		सोयाबीन, तुअर, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .	चालू है.	4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल, मूँगमोठ, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला अशोकनगर:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) धान, ज्वार, राई-सरसों, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		मटर, मसूर, चना, जौ, गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) . .		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल कम.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		(2) . .		
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .				
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) तुअर, मसूर, गेहूँ, कम. चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .				
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर, ज्वार कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ, मसूर, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .				
3. सेमरिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. मऊगंज	. .				
5. जवा	. .				
6. हनुमना	. .				
7. हजूर	. .				
8. गुढ़	. .				
9.रायपुरकर्चुलियान	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. मनगवां	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मटर, मसूर कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .				
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) धान अधिक. राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर कम. राहर, कोदों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .				
3. कोतमा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, अरहर, अधिक. गेहूँ, चना, अलसी कम. राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .				
3. मानपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

1	2.	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) राई-सरसों, चना, मसूर, मटर, गेहूँ, जौ कम. अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझोली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान, मक्का, सावां, ज्वार, अरहर, तिल, उड़द, मूँग, कोदों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त..
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. धुन्धड़का	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर अधिक. उड़द कम. सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी व ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) कपास, तुअर, चना, गेहूँ अधिक. ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. सोण्डवा	. .				
4. भामरा	. .				
5. कट्टीवाडा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) . .		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
7. वरला	. .				
***जिला पूर्व-निमाड़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) सोयाबीन अधिक. गन्ना, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) . .		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना, तुअर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
***जिला सीहोर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, गन्ना अधिक. मसूर, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व ज्वार की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, चना , मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. चिचोली	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. शाहपुर	..				
4. धोड़ाडोंगरी	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) सोयाबीन अधिक. धान, गन्ना, मूँगमोठ, उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) धान, सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर, अलसी, गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) चना, गेहूँ, मसूर, अलसी, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
***जिला मण्डला :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. निवास	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. बिछिया	. .		(2) . .		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों चना, मसूर, गेहूँ, बटरी, अलसी, लाख की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) धान, राहर, कोदों-कुटकी, राई समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) . .		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हर्रई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना, राई-सरसों अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, उड़द, बाजरा, मूँगमोठ, सोयाबीन, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, लाख, अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .				
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .				
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		

टीप.— *जिला अशोकनगर, बड़वानी, पूर्व-निमाड़, सीहोर, नरसिंहपुर, मण्डला से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(129)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.